(10)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 97 / प्र0अ0–भवन / जोन–2 / 2013–14 दिनांक 18 / 11 / 2013

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **प्रस्तावित विद्यालय विस्तार मानचित्र** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती शारदा पाण्डेय, प्रबन्ध न्यासी यूनिवर्सल एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा पार्ट आफ आराजी संख्या–124 मौजा–शाहा उर्फ पीपलगॉव, इलाहाबाद जोन संख्या **(2)** के अर्न्तगत **विद्यालय विस्तार मानचित्र के** निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्ते पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 158 अद्द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू–गर्भ जल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
6. स्थल पर सोलर वाटर हीटींग संयत्र की स्थापना किया जाना आवश्यक होगा।
7. स्थल का अधिभोग / उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
8. निर्माण कार्य भूकम्परोधी डिजाईन पर ही कराना होगा।
9. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या–2013 / इला0 / 185 / सि0ला0 / 0086 दि0 16.08.2013 में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। **(छायाप्रति संलग्न)**
10. मुख्य अभियन्ता–विद्युत की अनापत्ति पत्र संख्या–2530 / मु0अ0(वि0) / इ0क्षे0 / पी–2मानचित्र दि0 02 नवम्बर, 2013 में अंकित प्रतिबन्धो का अक्षरशः अनुपालन आवश्यक होगा। **(छायाप्रति संलग्न)**
11. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
13. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।

Continued

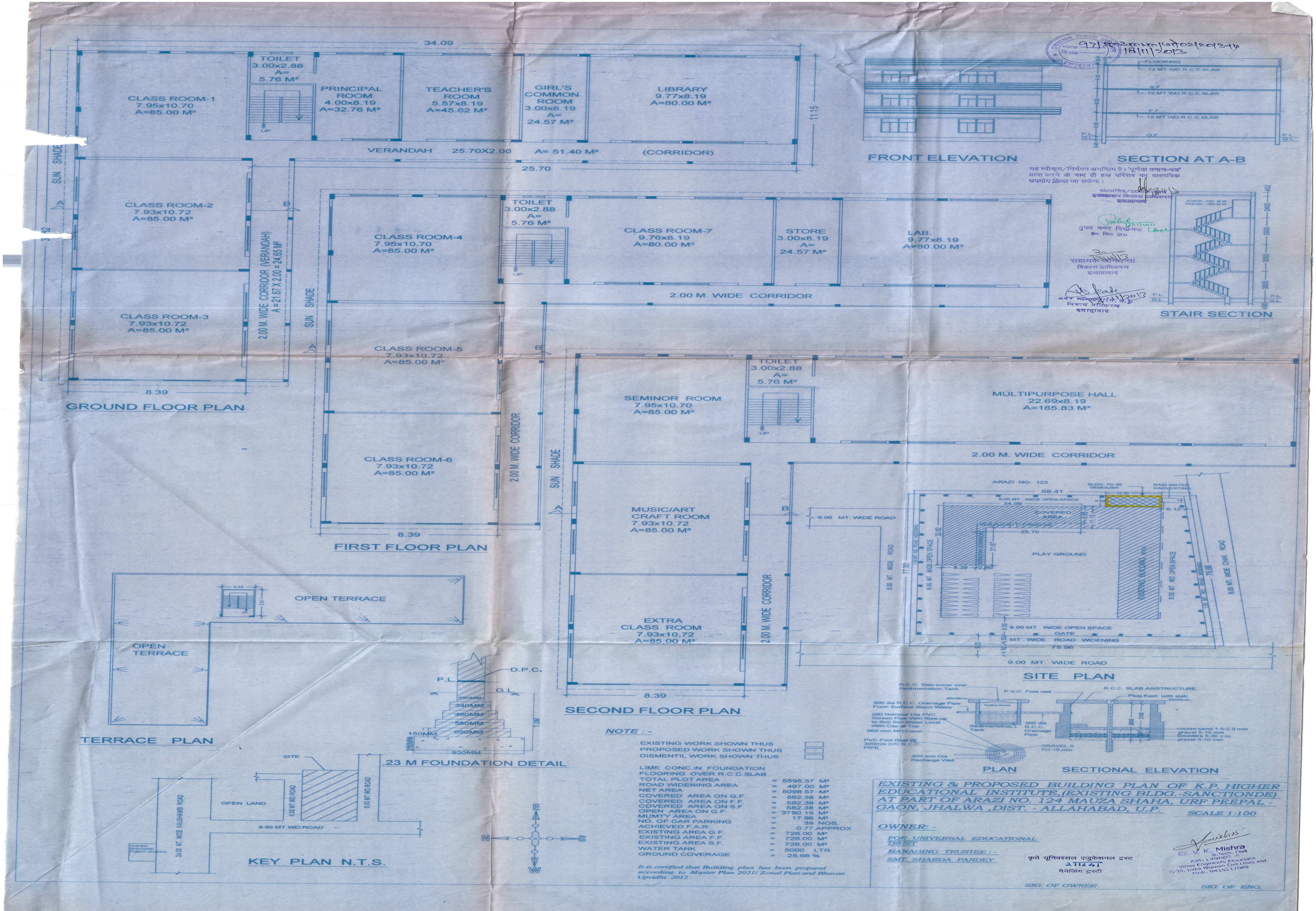
GROUND FLOOR PLAN
CLASS ROOM-1
7.95x10.70
A=85.00 M²
TOILET
3.00x2.88
A=
5.76 M²
UP
PRINCIPAL ROOM
4.00x8.19
A=32.76 M²
TEACHER'S ROOM
5.57x8.19
A=45.62 M²
GIRL'S COMMON ROOM
3.00x8.19
A=
24.57 M²
LIBRARY
9.77x8.19
A=80.00 M²
34.09
11.15
VERANDAH 25.70X2.00 A= 51.40 M² (CORRIDOR)
25.70
CLASS ROOM-2
7.93x10.72
A=85.00 M²
CLASS ROOM-3
7.93x10.72
A=85.00 M²
2.00 M. WIDE CORRIDOR (VERANDAH)
A = 21.67 X 2.00 = 24.65 M²
SUN SHADE
8.39
FIRST FLOOR PLAN
CLASS ROOM-4
7.95x10.70
A=85.00 M²
TOILET
3.00x2.88
A=
5.76 M²
CLASS ROOM-7
9.76x8.19
A=80.00 M²
STORE
3.00x8.19
A=
24.57 M²
LAB.
9.77x8.19
A=80.00 M²
2.00 M. WIDE CORRIDOR
CLASS ROOM-5
7.93x10.72
A=85.00 M²
CLASS ROOM-6
7.93x10.72
A=85.00 M²
2.00 M. WIDE CORRIDOR
SUN SHADE
8.39
SECOND FLOOR PLAN
SEMINOR ROOM
7.95x10.70
A=85.00 M²
TOILET
3.00x2.88
A=
5.76 M²
MULTIPURPOSE HALL
22.69x8.19
A=185.83 M²
2.00 M. WIDE CORRIDOR
MUSIC/ART CRAFT ROOM
7.93x10.72
A=85.00 M²
EXTRA CLASS ROOM
7.93x10.72
A=85.00 M²
2.00 M. WIDE CORRIDOR
SUN SHADE
8.39
FRONT ELEVATION
SECTION AT A-B
FLOORING
12 MT WD.R.C.C.SLAB
S.F.
F.F.
G.F.
P.L.
G.L.
STAIR SECTION
RISER - 150 M.M.
TREAD - 250 M.M.
TERRACE PLAN
OPEN TERRACE
OPEN TERRACE
.23 M FOUNDATION DETAIL
D.P.C.
P.L.
G.L.
250MM
340MM
460MM
580MM
690MM
150MM
920MM
KEY PLAN N.T.S.
SITE
OPEN LAND
6.00 MT.WD.ROAD
9.00 MT.WD.ROAD
24.00 MT. WIDE KAUSHAMBI ROAD
SITE PLAN
ARAZI NO. 123
BLDG. TO BE DEMOLISH
RAIN WATER HARVESTING
68.41
6.00 MT. WIDE OPEN SPACE
34.09
COVERED AREA
VERANDAH (CORRIDOR)
25.70
PLAY GROUND
EXISTING BUILDING
6.00 MT. WIDE ROAD
6.00 MT. WIDE CHAK ROAD
9.00 MT. WIDE OPEN SPACE
GATE
MT. WIDE ROAD WIDENING
75.96
9.00 MT. WIDE ROAD
77.30
76.08
R.C.C. Slab cover over Sedimentation Tank
P.V.C. Foot rest
R.C.C. SLAB AS/STRUCTURE
Plug flush with slab
300 dia R.C.C. Drainage Pipe From Surface Storm Water
200 Nominal Dia PVC Screen Pipe With Ribs up to Sub Soil Water Level With Cap at Top
560 mm MH Cover
Sedimentation Tank
300 dia R.C.C. Drainage Pipe
PVC Foot Rest @ 300mm C/C R.C.C. PIPE
400 mm Dia Recharge Well
GRAVEL 5 TO 10 mm
course sand 1.5-2.0 mm
gravel 5-10 mm
Boulders 5-20 c.m.
gravel 5-10 mm
PLAN
SECTIONAL ELEVATION
NOTE :-
EXISTING WORK SHOWN THUS
PROPOSED WORK SHOWN THUS
DISMENTIL WORK SHOWN THUS
LIME CONC.IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C.SLAB
TOTAL PLOT AREA = 5595.57 M²
ROAD WIDENING AREA = 497.00 M²
NET AREA = 5098.57 M²
COVERED AREA ON G.F. = 582.38 M²
COVERED AREA ON F.F. = 582.38 M²
COVERED AREA ON S.F. = 582.38 M²
OPEN AREA ON G.F. = 3790.19 M²
MUMTY AREA = 17.86 M²
NO. OF CAR PARKING = 39 NOS.
ACHIEVED F.A.R. = 0.77 APPROX
EXISTING AREA G.F. = 726.00 M²
EXISTING AREA F.F. = 726.00 M²
EXISTING AREA S.F. = 726.00 M²
WATER TANK = 5000 LTR
GROUND COVERAGE = 25.66 %
It is certified that Building plan has been prepared according to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bhavan Upvidhi 2012
EXISTING & PROPOSED BUILDING PLAN OF K.P. HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTE,(EXISTING BLDG.-SANCTIONDE) AT PART OF ARAZI NO. 124 MAUZA SHAHA, URF PEEPAL - GAON, JHALWA ,DIST. - ALLAHABAD, U.P.
SCALE 1:100
OWNER:-
FOR UNIVERSAL EDUCATIONAL TRUST
MANAGING TRUSTEE :-
SMT. SHARDA PANDEY
कृते यूनिवरसल एजुकेशनल ट्रस्ट
मैनेजिंग ट्रस्टी
SIG. OF OWNER
Er. V. K. Mishra
B.Tech. Civil
Vinay Engineers Associate
G-39, Indra Bhawan Civil Lines Ald.
Mob. 9415217089
SIG. OF ENG.
यह स्वीकृत/निर्गत अनन्तिम है। "पूर्णता प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर का वास्तविक उपयोग किया जा सकेगा।
मुख्य नगर नियोजक
सहायक अभियन्ता
विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद
18/11/2013